रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III —खण्ड 4
PART III —Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2019/ज्येष्ठ 17, 1941
No. 192] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2019/JYAISTHA 17, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 7 मई ,2019

सं. टीएएमपी/71/2018-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तनप्रशुल्क प्राधिकरण,समुद्र के पानी की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक पंप के उपयोग के लिए सेवा प्रभार हेतु प्रशुल्क निर्धारण के लिए न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी)से प्राप्त प्रस्ताव का संलग्न आदेशानुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/71/2018-एनएमपीटी

न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास ---- आवेदक

कोरम

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(मार्च 2019 के 29वें दिन पारित)

यह मामला न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) के अपने पत्र क्रमांक एनएनएमपीटी/एफआईएन /आरईवी/एसओआर/2018-19 दिनांक 08 अक्टूबर 2018 के तहत प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है जिसमें समुद्र के पानी की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक पंप के उपयोग हेतु सेवा प्रभार के तौर पर प्रशुल्क के अनुमोदन का अनुरोध किया गया है।

2. इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी 2016 को अपने दरमानों में सामान्य संशोधन से संबंधित आदेश पारित किया था । यह आदेश,भारत के राजपत्र में 13 अप्रैल 2016 को राजपत्र सं. 133 पर अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेश में प्रशुल्क वैधता 31 मार्च 2019 तक निर्धारित है।

3. एनएमपीटी ने अब एक प्रस्ताव दायर किया है जिसमें समुद्र के पानी की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक पंप के उपयोग के लिए सेवा प्रशुल्क के अनुमोदन का अनुरोध किया गया है। एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं का सारांश नीचे संक्षेप में प्रस्तुत हैं:

(i). पत्तन, 45 किलोवाट इलेक्ट्रिक पंप के उपयोग के माध्यम से समुद्र के पानी की आपूर्ति के रूप में नई सेवा प्रदान कर रहा है। इस सेवा के लिए वर्तमान में, पत्तन के पास अधिसूचित एसओआरमें कोई प्रशुल्क उल्लेखित नहीं है।इस संबंध में, उपरोक्त उल्लिखित सेवा हेतु 45 किलोवाट के इलेक्ट्रिक पंप के उपयोग के लिए प्रति घंटा की दर से निम्नानुसार प्रशुल्क का प्रस्ताव किया गया है:

<u>प्रस्तावित दर:</u>

क्रम सं. 6.9 अध्याय-V।, खंड सं. V।। के तहत, -समुद्री जल की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक पम्प के उपयोग के लिए सेवा प्रशुल्क।	समेकित दर /घंटा .
'हॉट वर्क' संबंधीगतिविधियों के लिए समुद्र के पानी की आपूर्ति के लिए प्रशुल्क।	रु.1954/- प्रतिघंटा

उपर्युक्त दर को 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार तदर्थ आधार पर उपयोगकर्ता से उगाहा जा रहा है, इसलिए प्रस्तावित दर अधिसूचना के लिए स्वीकृत की जा सकती है।

(ii). प्रस्तावित दरों के लिए विस्तृत परिकलन नीचे दिया गया है :

(रु. प्रति घंटा)

क्रम सं.	**विवरण**	**राशि**
(i).	**विभागीय संचालकों का वेतन[(रु.81,392 +रु.67,440) प्रति माह / 30 दिन / 8 घंटे]**	620
(ii).	**इलेक्ट्रीशियन का वेतन [रु.12,420 प्रति माह / 30 दिन / 8 घंटे]**	52
(iii).	**संचालक का वेतन [रु.12,420 प्रति माह / 30 दिन / 8 घंटे]**	52
(iv).	**सहायक संचालक का वेतन[रु.प्रति माह 10,590 / 30 दिन / 8 घंटे]**	44
(v).	**पर्यवेक्षक का वेतन [रु.13,680 प्रति माह / 30 दिन / 8 घंटे]**	57
(vi).	**बिजली की लागत[प्रति विभाग के अनुसार: (प्रति घंटे 45 यूनिट * रु.8.65 प्रति यूनिट प्रति घंटे)]**	389
(vii).	**पंप हाउस की रखरखाव लागत [रु.31,50,783 / 12/30/24]**	365
(viii).	**कुल लागत**	1,579
(ix).	**कुल लागत पर 23.75 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभार** (viii*23.75%) [रु.1,579*23.75%]	375
(x).	**कुल लागत (viii+ix)**	1,954

4. हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी/स्पष्टीकरण और उन पर एनएमपीटी की प्रतिक्रियाएं, नीचे तालिकाबद्ध रुप में प्रस्तुत हैं:

क्रम सं.	**हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी/स्पष्टीकरण**	**एनएमपीटी की प्रतिक्रिया**
(i).	प्रस्ताव से यह स्पष्ट नहीं है कि सर्विस चार्ज के अनुमोदन की मांग काप्रस्ताव इलेक्ट्रिक पंप के उपयोग के लिए है या समुद्र के पानी की आपूर्ति के लिए है; क्योंकि विषयगत प्रस्ताव के पहले पृष्ठ में तालिका की पहली और दूसरी पंक्ति में विवरण बेमेल है । एनएमपीटी प्रदान की गई सेवाओं और उसके उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख करें ।	सर्विस चार्ज का प्रस्ताव समुद्री पानी की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक पंप के उपयोग के लिए है।
(ii).	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48 और 49, महापत्तन न्यासेां द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची निर्धारित करती हैं, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा दरमान (एसओआर) अधिसूचित किया जाते हैं। पत्तन से अनुरोध है कि यह सेवा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48 और 49,में सूचीबद्ध सेवाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है,स्पष्ट करे।	यहसेवा - बोर्ड द्वारा प्रदान या उससे संबंधित किसी भी भूमि, भवन निर्माण कार्य, जहाजों या उपकरणों काया कोई अन्य उपयोग; धारा 49 (1) (घ) के तहत आती है ।
(iii).	प्रस्तावित क्रम सं..6.9, अध्याय-.V। खंड सं. V।। के तहत, वर्णित शब्द "हॉट वर्क" का अर्थ बताएं।	'हॉट वर्क' का मतलब है तेल घाट क्षेत्र में ड्रिलिंग, वेल्डिंग, छिलनआदि, कोई भी कार्य।
(iv).	यदि इस प्राधिकरण द्वारा एमपीटी अधिनियम, 1963 के अनुसार समुद्र के पानी की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक पंप के उपयोग को विनियमित किया जाना आवश्यक है, तो एनएमपीटी से अनुरोध किया जाता है कि परामर्श	वर्तमान में केवल एमआरपीएल ही प्रमुख उपयोगकर्ता / संगठन है।

	करने के लिए प्रमुख उपयोगकर्ताओं/संगठनों की सूची संपर्क विवरण सहितजैसे कि पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स और ईमेल,के साथ प्रस्तुत करे। परामर्श प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रस्ताव दाखिल करते समय इन्हें,दस्तावेजों की चेकलिस्ट के अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।	हालांकि, भविष्य में, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, यूपीसीएल और एसआईसीएएलजैसे अन्य पत्तन उपयोगकर्ता हो सकते हैं जो उपरोक्त सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

5. निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के अनुसार, एनएमपीटी का दिनांक 08 अक्टूबर 2018 का प्रस्ताव हमारे पत्र दिनांक 02 नवंबर 2018 के माध्यम से संबंधित उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों को, उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया था । विषयगत प्रस्ताव के निस्तारण तक हमें कोई टिप्पणी नहीं मिली है।

6. इस मामले में एनएमपीटी परिसर में 29 जनवरी 2019 को संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी।एनएमपीटीने अपने प्रस्ताव का एक पॉवर प्वापयंट प्रस्तुति भी प्रस्तुत की थी।संयुक्त सुनवाई में, एनएमपीटी और संबंधितउपयोगकर्ताओं / उपयोगकर्ता संगठनों ने अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं।

7.1. संयुक्त सुनवाई में, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) की मुख्य आपत्ति यह थी कि प्रतिघंटे के आधार पर प्रस्तावित द रको 24 घंटे के लिए प्रभार्यन हीं करना चाहिए। पत्तन ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित दर केवल उन कई घंटों के लिए चार्ज की जाती है, जिस दौरान पानी का दाब (प्रेशर) गिर जाने के कारण इलेक्ट्रिक पंप का प्रयोग किया जाएगा । पत्तन को हमारे 31 जनवरी, 2019 को लिखे गए पत्र के अंतर्गत इस संबंध में एक उपयुक्त नोट का प्रस्तावित करने का अनुरोध किया गया था।

7.2 इस संबंध में, एनएमपीटी ने 05 फरवरी 2019 और 19 फरवरी 2019 केको अपने पत्रों के अंतर्गत प्रतिक्रिया दी है और एनएमपीटी की प्रतिक्रिया संक्षेप में दी गई है:

(i) एनएमपीटी, एमआरपीएल को उनकी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर समुद्री जल की आपूर्ति करता है। जॉकी पंप के वास्तविक चलने के अनुसार शुल्क भी एकत्र किया जा रहा है। मूल रूप से, समुद्र के पानी को एमआरपीएलकी रखरखाव गतिविधियों के उनके तटीय टर्मिनल पर गर्म कार्यों के लिए जॉकी पंप का उपयोग करके आपूर्ति की जाती है। इसलिए जॉकी पंप को उनकी मांग / आवश्यकता के आधार पर रुक-रुक कर चलाया जाता है। इसलिए, पत्तन 24 घंटे के आधार पर जोर नहीं दे रहा है। जॉकी पंप 210 घंटे चलाया गया था। एमआरपीएल को पानी की आपूर्ति के लिए 2017-18 की अवधि के दौरान प्रशुल्क भी 210 घंटे के लिए लगाया गया था जो प्राधिकरण को प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है

(ii). <u>प्रस्तावित दर:</u>

क्रम सं.6.9 अध्याय-V।, खंड सं. V।। के तहत, समुद्री जल की आपूर्ति हेतु इलेक्ट्रिक पम्प के उपयोग के लिए -सेवा प्रशुल्क।	समेकित दर /घंटा
'हॉट वर्क' की गतिविधियों के लिए समुद्र के पानी की आपूर्ति के लिए प्रशुल्क।	रु.1,954/-प्रति घंटा

ध्यान दें:
'हॉट वर्क' की गतिविधियों के लिए समुद्र के पानी की आपूर्ति का प्रशुल्क,वास्तविक उपयोग के आधार पर लिया जाएगा।

7.3. उपर्युक्त के बाद, एनएमपीटी ने दिनांक 15 मार्च 2019 के अपने ई-मेल के माध्यम से दिनांक 08 अक्तूबर, 2019 के अपने प्रस्ताव में यथा प्रस्तावित 'हॉट वर्क गतिविधियां' शब्दों को हटाने का प्रस्ताव किया है, जैसा कि नीचे दिया गया है-

(i). <u>प्रस्तावित दर:</u>

विवरण	राशि रु.
क्रम सं. 6.8 अध्याय-V। के तहत खंड सं. V, समुद्री जल की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक पम्प के उपयोग के लिए सेवा प्रशुल्क।	रु.1,954/- प्रति घंटा

(ii). उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी ।

8. इसके अतिरिक्त, एनएमपीटी ने दिनांक 18 मार्च, 2019 के अपने ई-मेल के माध्यम से यह उल्लेख किया है कि समुद्री जल की आपूर्ति हेतु विद्युत पम्प के उपयोग के लिए सेवा प्रभारों के लिए अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया गया था । एनएमपीटी ने यह भी कहा है कि वह बोर्ड की बैठक में इस बात को रखेगा और बोर्ड के अनुसमर्थन की एक प्रति प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा ।

9. इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों पर उपलब्ध है. संबंधित पक्षों द्वारा की गई दलीलों के अंश संबंधित पक्षों को अलग-अलग से भेजे जाएंगे । ये विवरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे ।

10. मामले पर कार्रवाई के दौरान एकत्रितसूचना के संदर्भ में निम्न स्थिति उजागर होती है:

(i). समुद्री जल की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक पम्प के उपयोग के लिए सेवा प्रभारों के तौर पर प्रशुल्क का अनुमोदन चाहने वाले न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मुख्यत: दो कारणों से है अर्थात् पत्तन 45 किलोवाट इलेक्ट्रिक पंप के उपयोग के माध्यम से समुद्री जल की आपूर्ति के रूप में नई सेवा प्रदान कर रहा है और पत्तन में वर्तमान में कोई भी अधिसूचित दर उपलब्ध नहीं है। पत्तन ने नई इस सेवा को मुख्य रूप से अग्निशमन सुरक्षा के लिए शुरू किया है। मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) में अग्निशमन सुरक्षा के लिए अग्निशमन जल नेटवर्क उपलब्ध है। पत्तन द्वारा ,अग्निशमन सुरक्षा हेतु जल नेटवर्क के लिए पानी की आपूर्ति विद्युतचालित पानी का पंप उपयोग करके की जाती है। अग्निशमन जल नेटवर्क में जल-दाब का स्तर बनाए रखना होता है। यदि दाब में गिरावट होती है तो पत्तन द्वारा जल को पंप किया जाता है। प्रस्तावित प्रशुल्क,पत्तन के विद्युतचालित जल पम्प को चलाकर समुद्री जल की आपूर्ति करने के लिए है। पत्तन ने 1954/-प्रति घंटा की दर पर समुद्री जल की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक पम्प के उपयोग के लिए प्रभार का प्रस्ताव किया है। एनएमपीटी के अध्यक्ष ने प्रस्तावित दर का अनुमोदन किया है

पत्तन द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, समुद्री जल की आपूर्ति हेतु इलेक्ट्रिक पम्प के उपयोग के लिए प्रभारों के तौर पर प्रशुल्क के अनुमोदन हेतु एनएमपीटी के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ।

(ii). **(क).** 1954/-प्रति घंटा की दर का प्रस्ताव प्रत्तन द्वारा लागत परिकलन से पुष्ट/समर्थित है जिसे तुरत संदर्भ के लिए यहां पर पुन: प्रस्तुत किया जाता है:

(` **प्रति घंटा**)

क्रम.सं.	**विवरण**	**राशि**
(i).	विभागीय संचालकों का वेतन [(रु.81,392 + रु.67,440) प्रति माह/ 30 दिन/8 घंटे]	620
(ii).	इलेक्ट्रीशियन का वेतन [**रु**.12,420 per प्रति माह / 30 दिन / 8 घंटे]	52
(iii).	ऑपरेटर की सैलरी [रु.12,420 प्रति माह / 30 दिन / 8 घंटे]	52
(iv).	सहायक संचालक का वेतन [**रु**.10,590 प्रति माह / 30 दिन / 8 घंटे]	44
(v).	पर्यवेक्षक की सैलरी [रु.13,680 प्रति माह / 30 दिन / 8 घंटे]	57
(vi).	बिजली की लागत [विभाग के अनुसार: (45 यूनिट प्रति घंटा * रु. 8.65 प्रतियूनिट प्रति घंटा)]	389
(vii).	पंप हाउस की रखरखाव लागत [रु.31,50,783/12/30/24]	365
(viii).	कुल लागत	1,579
(ix).	कुल लागत पर विभागीय प्रभार 23.75 प्रतिशत की दर से (viii * 23.75%) [रु.1,579*23.75%]	375
(x).	प्रस्तावित दर प्रति घंटा (viii+ix)	1,954

(**ख**). पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रशुल्क नीति 2018में, खंड 7.6.1 के अनुसार जब महापत्तन न्यास के पास संबंधित सेवा/कार्गो से संबंधित प्रशुल्क उपलब्ध नहीं होतो, पत्तन उक्त नए कार्गो/सेवा/सुविधा के लिए किसी अन्य प्रमुख पत्तन न्यास में समतुलनीय कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए प्रशुल्क और निष्पादन मानकों, यदि कोई हों, के अनुरुप, प्रशुल्क अधिसूचित करने के लिए प्राधिकरण से संपर्क करेगा।यदि किसी भी महापत्तन न्यास में कोई समानांतर प्रशुल्क निर्धारित नहीं है अथवा निर्धारित दर कार्गो/सेवा/सुविधा के प्रतिनिधिक नहीं हैं तो पत्तन न्यास, प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008 या निर्धारित क्षमता के आधार पर या वैकल्पिक रूप से लागत से 16% अधिक रिटर्न फार्मूला के तहत के सिद्धान्तों के अनुसरण में इष्टतम क्षमता के संदर्भ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है ।

चूंकि यह एक नई सेवा है जिसके लिए वर्तमान में प्रशुल्क निर्धारित नहीं है, पत्तन ने लागत से अधिक मॉडल के आधार पर प्रशुल्क का प्रस्ताव किया है ।

उपर्युक्त लागत परिकलन से यह देखा गया है कि प्रस्तावित दर, विद्युत लागत की वसूली, संबंधित पत्तन प्रचालकों और अधिकारियों के वेतन, पम्प हाऊस के अनुरक्षण और विभाग के उपरि प्रभारों कीकुल लागत का 23.75% है ।

हालांकि,पत्तन 16% प्रत्यागमका हकदार है, पत्तन विद्युतचालित पंप की पूंजीगत लागत पर प्रत्यागमइस आधार पर नहीं माना जाता है क्योंकिविद्युतचालित पंप की पूंजी लागत बहुत अधिक है इसलिए प्रशुल्क बहुत उच्च होगा। पत्तन ने कहा है कि वर्ष 2017-18 के दौरान इलेक्ट्रिक पंप 210 घंटे के लिए चलाया गया है । प्रतिशत की दृष्टि से यह मुश्किल से 2.4% (एक वर्ष में 210 घंटे/8760 घंटे) है । पत्तन द्वारा यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह सुविधा मुख्य रूप से अग्निशमन सुरक्षा के लिए प्रदान की जाती है । मुख्य रूप से यह प्रस्ताव पत्तन को सुविधा प्रदान करने के लिए खर्च की गई लागत की भरपाई करने में समर्थ बनाने के लिए है। समुद्री जल की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक पम्प के प्रति घंटा वास्तविक उपयोग के आधार पर दर प्रभारित करने का प्रस्ताव है। जैसा कि पहले कहा गया है, जब अग्निशमन नेटवर्क दाब गिर जाता है तो पानी की दाब(प्रेशर) को बनाए रखने के लिए, समुद्र के पानी की आपूर्ति हेतु बिजली के पंप कोसंचालित किया जाता है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह प्राधिकरण पत्तन के उस प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ता है जो लागत की वसूली के लिए है और उस पर कोई प्रत्यागमअर्जित नहीं कर रहा है ।

एमआरपीएल सहित किसी भी प्रयोक्ता ने अनुमानित प्रचालन लागत पर कोई आपत्ति

नहीं उठाई है । एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत लागत गणना विश्वस्नीयऔर मान्यहै । प्रस्तावित दर,पत्तन द्वारा जून 2017से पहले से ही अनंतिम आधार पर लगायी जा रही है और एमआरपीएल द्वारा भुगतान किया जा रहा है। पत्तन द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत लागत गणना के आधार पर और यह स्वीकार करते हुए कि प्रस्तावित दर पर कोई आपत्ति नहीं है, यह प्राधिकरण पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित दर का अनुमोदन करता है ।

(iii). मुख्य प्रयोक्ता एमआरपीएल ने केवल एक ही आपत्ति की है कि प्रस्तावित दर 24 घंटे के लिए नहीं लगाई जानी चाहिए । पत्तन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 24 घंटे के लिए दर प्रभारित नहीं की जाएगी । पत्तन,केवल जब दबाव गिरता है और पंप चलाया जाता है, बिजलीचालित पंप के संचालन के घंटे के संदर्भ में वास्तविक उपयोग के लिए दर चार्ज करेगा। दर केवल उन कई घंटों के लिए प्रभार्य होगी है जिसके लिए विद्युत चालित पंप चलाया जाएगा है और पत्तन नेएक नोट का भी प्रस्ताव दिया है । प्रस्तावित नोट में कहा गया है कि 'गर्म कार्य गतिविधियों'को हटाने और समुद्री जल की आपूर्ति के लिए शुल्क वास्तविक उपयोग के अनुसार लिया जाएगा। अंत में अस्पष्टता से बचने के लिए नोट को थोड़ा आशोधित करने हेतु शब्द "गर्म कार्य गतिविधियों के लिए" को पत्तन के दिनांक 15 मार्च 2019केअंतिम प्रस्ताव से हटाते हुए और अंत में "इलेक्ट्रिक पंप द्वारा" शब्दों को जोड़ते हुए आशोधित किया गया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पत्तन द्वारा प्रस्तावित संशोधन अर्थात् समुद्री जल की आपूर्ति के लिए विद्युत पम्प के उपयोग के लिए सेवा प्रभारों को अनुमोदित किया जाता है ।

(iv). मामले की प्रोसेसिंग के दौरान पत्तन ने कहा है कि वह एमआरपीएल से उक्त दर अनंतिम रूप से वसूल कर रहा है । पत्तन ने स्पष्ट किया है कि उक्त सेवा महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 49 में निर्धारित सेवाओं की सूची के अंतर्गत आती है। तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि पत्तन ने इस दर को लगाने से पहले इस प्राधिकरण से संपर्क क्यों नहीं किया । पत्तन की अनंतिम रूप से दर की उगाही की यह कार्रवाई इस प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना की जा रही है।

ऐसी अनंतिम लेवी से राजस्व लगभग 4.10 लाख रुपए (वर्ष 2017-18 x रु.1954/-प्रति घंटा) में पत्तन द्वारा सूचित किए गए प्रचालन के 210 घंटे के आस-पास होगा । तथापि, प्रस्तावित स्तर पर पिछले सामान्य संशोधन आदेश में रुपए 36,324.28 लाख प्रति वर्ष के अनुमानित राजस्व पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(v). पत्तन ने मामले की प्रोसेसिंग के दौरान कहा है कि समुद्री जल की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक पम्प के उपयोग की दर का प्रस्ताव पत्तन के अध्यक्ष के अनुमोदन से किया गया है। पत्तन ने कहा है कि वह समुद्री जल की आपूर्ति के लिए विद्युत चालित पंप के उपयोग की दर पर न्यासी बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगा और इस प्राधिकरण को बोर्ड के अनुमोदन की एक प्रति अग्रेषित करेगा । पत्तन द्वारा सहमति के अनुसार, एनएमपीटी को इस मामले पर अपने न्यासी बोर्ड के अनुमोदन को अग्रेषित करने की सलाह दी गई है ।

(vi). इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें, सामान्यतया,राजपत्र अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद, जब तक कि संबंधित प्रशुल्क आदेशों में विशेष रूप से भिन्न व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया जाता है, भावी प्रभाव में आ जाती है । प्रस्तावित दर पर प्रभारपत्तन द्वारा पहले से ही एकत्र किया जा रहा है । ऐसा होने के कारण, इस मामले में कार्यान्वयन के लिए 30 दिनों का समय आवश्यक नहीं है । यह प्राधिकरण, इस प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से समुद्री जल की आपूर्ति के लिए विद्युतचालित पंप के उपयोग हेतु दर की स्वीकृति प्रदान करने का इच्छुक है । इस मद के लिए निर्धारित दर प्रशुल्क नीति, 2018 के अंतर्गत अनुमोदित किए जाने वाले पत्तन के दरमानके सामान्य संशोधन का भाग भी होगा और दर की वैधता को इस प्राधिकरणद्वारा अनुमोदित किए जाने वाले पत्तन के संशोधित दरमानोंकी वैधता के समानान्तर अवधितक मान्य होगा ।

11.1 परिणामत: और ऊपर दिए गए कारणों सेऔर समग्र सोच विचार के पश्चात, एनएमपीटी के समुद्री जल की आपूर्ति हेतु विद्युत चालित पंप के उपयोग के लिए सेवा प्रभारों हेतु प्रशुल्क के लिए निम्नलिखित अनुसूची के क्रम सं.6.9- डीपीटी के मौजूदा दरमानों में विविध प्रभार पर अध्याय-V। - अन्य प्रभार-के तहत खंड संख्या-V।।- एनएमपीटी के समुद्री जल की आपूर्ति हेतु विद्युत चालित पंप के उपयोग के लिए प्रभार, के तौर पर अनुमोदन किया जाता है:

"VII. समुद्री जल की आपूर्ति के लिए विद्युत चालित पंप के उपयोग हेतु प्रभार:

विवरण	राशि(रु.)
समुद्री जल की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक पंप के उपयोग के लिए शुल्क	रु.1,954/-प्रति/घंटा.

नोट: समुद्र के पानी की आपूर्ति के लिए ऊपर निर्धारित शुल्क इलेक्ट्रिक पंप के वास्तविक उपयोग के अनुसार लिया जाएगा ।

11.2. एनएमपीटी के समुद्री जल की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक पम्प के उपयोग हेतु सेवा प्रभारों के तौर पर प्रशुल्क की एनएमपीटी के न्यासी बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दर, इस प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से प्रभावी होगी । इस मद के लिए

निर्धारित दर, प्रशुल्क नीति, 2018 के अंतर्गत अनुमोदित किए जाने वाले पत्तन के दरमान में सामान्य संशोधन का भाग होगी और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले पत्तन के संशोधित दरमानोंकी वैधता के साथ दर की वैधता के साथ सह-निर्धारित रहेगी ।

11.3. एनएमपीटी को मौजूदा दरमानमें उपयुक्त बदलाव करने का निदेश दिया जाता है.

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/77/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th May, 2019

No.TAMP/71/2018-NMPT.—In exercise of the powers conferred by **Section 49** of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from New Mangalore Port Trust (NMPT) for fixation of tariff for Service Charges for the use of Electric Pump for supply of sea water, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/71/2018-NMPT

New Mangalore Port Trust - - - Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 29th day of March 2019)

This case relates to the proposal received from New Mangalore Port Trust (NMPT) under cover of its letter No.NMPT/FIN/REV/SOR/2018-19 dated 08 October 2018 seeking approval of tariff for Service Charges for the use of Electric Pump for supply of sea water.

2. This Authority had vide Order No.TAMP/22/2015-NMPT dated 27 February 2016 passed an Order relating to general revision of its Scale of Rates. This Order was notified in the Gazette of India on 13 April 2016 vide Gazette No.133. The said Order prescribes a tariff validity period till 31 March 2019.

3. The NMPT has now filed a proposal seeking approval of Service Charges for the use of Electric Pump for supply of sea water. The main points of the proposal submitted by NMPT are summarized below:

(i). The Port is rendering new service in the form of supply of sea water through the use of 45 KW Electric Pump. For this service, the Port is not having any notified charges in the present SOR. In this regard, it is proposed to charge for the above mentioned service on hourly rate for use of 45 KW Electric Pump as stated below:

Proposed Rate:

Sl. No.6.9 Under Chapter No.VI, Clause No.VII,-Service Charges for the use of Electric Pump for supply of sea water.	Consolidated Rate / Hr.
Charges for supply of sea water for hot work activities.	₹1954/- per hour.

The above rate is being charged to the user on adhoc basis as per 2015 Guidelines, for which the proposed rate may kindly be considered for notification.

(ii). The detailed workings for the rate proposed are as given below:

(in ₹ per hour)

Sr. No.	Particulars	Amounts
(i).	Salary of Departmental Operators [(₹81,392 + ₹67,440) per month / 30 days / 8 hours]	620

(ii).	Salary of Electrician [₹12,420 per month / 30 days / 8 hours]	52
(iii).	Salary of Operator [₹12,420 per month / 30 days / 8 hours]	52
(iv).	Salary of Assistant Operator [₹10,590 per month / 30 days / 8 hours]	44
(v).	Salary of Supervisor [₹13,680 per month / 30 days / 8 hours]	57
(vi).	Cost of Electricity [As per department : (45 units per hour * ₹8.65 per unit per hour)]	389
(vii).	Maintenance cost of pump house [₹31,50,783/12/30/24]	365
(viii).	**Total cost**	**1,579**
(ix).	Departmental charges at 23.75% on total cost (viii*23.75%) [₹1,579*23.75%]	375
(x).	**Grand total (viii+ix)**	**1,954**

4. A summary of the information/ clarification sought by us and reply furnished by NMPT is tabulated below:

Sl. No.	Information/ clarification sought by us	Reply furnished by NMPT
(i).	From the proposal it is not clear whether subject proposal seeking approval for service charge is for the use of Electric Pump or for supply of sea water as there is mismatch in the description in the 1st and 2nd row of the table in the first page of subject proposal. The NMPT to elaborate the services provided and also the purpose thereof.	The proposal of Service Charges is for the use of Electric Pump for supply of sea water.
(ii).	Sections 48 and 49 of Major Port Trusts Act, 1963 prescribe the list of services provided by the Major Port Trusts for which Scale of Rates (SOR) is to be notified by the Authority. The port is requested to clarify services offered fall under which category of services listed in the sections 48 and 49 of Major Port Trusts Act, 1963.	These services fall under Section 49(1) (d) – any other use of any land, building works, vessels or appliances belonging to or provided by the Board.
(iii).	Please explain the meaning of the term "Hot work" mentioned in the proposed Sl. No.6.9 Under Chapter No.VI, Clause No.VII.	Hot work means any drilling, welding, chipping etc. at oil jetty area.
(iv).	If the use of Electric Pump for supply of sea water is required to be regulated by this Authority as per MPT Act, 1963, the NMPT is requested to furnish list of major users / organisations to be consulted with contact details viz. address, telephone number, fax and email, which is required to be submitted as per the checklist of documents while filing the proposal for initiating consultation process.	At present the major user / organization is only MRPL. However, in future, there could be other port users like HPCL, BPCL, IOCL, UPCL and SICAL may use the above facility.

5. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of NMPT dated 08 October 2018 was forwarded vide our letter dated 02 November 2018 to the concerned users / user organisations seeking their comments. We have not received any comments till disposal of the subject proposal.

6. A joint hearing in this case was held on 29 January 2019 at the NMPT premises. The NMPT made a brief power point presentation of its proposal. At the joint hearing, the NMPT and the concerned users / user organizations have made their submissions.

7.1. At the Joint hearing, the main objection of the Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) was that the proposed rate on per hour basis should not be charged for 24 hours. The port clarified that the proposed rate is charged only for those many hours for which Electric Pump is working to pump water when the pressure drops. The port vide our letter dated 31 January 2019 was requested to propose a suitable note in this regard.

7.2. In this regard, the NMPT has responded vide its letters dated 05 February 2019 and 19 February 2019 and the response of NMPT is summarised below:

(i). NMPT supplies sea water to MRPL based on their requirement on actual basis. Charges are also being collected as per the actual running of the Jockey Pump. Basically, the sea water is supplied using the Jockey pump for hot works for the maintenance activities of MRPL at their Coastal terminal. So the Jockey pump is started and stopped intermittently based on their demand / requirement. Hence, Port is

not insisting for 24 hrs. basis. The Jockey pump had run 210 hrs. during the period 2017-18 for supplying water to MRPL. Charges were also levied only for this 210 hrs. which is evident from the documents submitted to TAMP.

(ii). **Proposed Rate**:

Sl. No.6.9 Under Chapter No.VI, Clause No.VII,-Service Charges for the use of Electric Pump for supply of sea water.	Consolidated Rate / Hr.
Charges for supply of sea water for hot work activities.	₹1,954/- per hour.

Note:
The charges for supply of sea water for hot work activities will be charged as per actual usage.

7.3. Subsequent to above, the NMPT has vide its email dated 15 March 2019 has proposed to delete the words "hot wok activities" as proposed in its proposal dated 08 October 2019 as given below:

(i). **Proposed Rate**:

Description	Amount in ₹
Sl. No.6.8 Under Chapter No.VI, Clause No.V - Service Charges for the use of Electric Pump for supply of sea water.	₹1,954/- per hour.

(ii). All other conditionality except above will remain.

8. Further, the NMPT vide its email dated 18 March 2019 has stated that the approval of the Chairman was obtained for Service Charges for the use of Electric Pump for supply of sea water. The NMPT has also stated that it shall place the same in the Board Meeting and forward a copy of the Board's ratification to the Authority.

9. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

10. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

(i). The proposal mooted by New Mangalore Port Trust (NMPT) seeking approval of tariff for Service Charges for the use of Electric Pump for supply of sea water is mainly on two accounts i.e. the Port is rendering new service in the form of supply of sea water through the use of 45 KW Electric Pump and the Port is not having any notified rate in the present SOR. The port has newly introduced this service mainly for fire safety. The Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) is having fire water network for fire safety. Water for the Fire water network is supplied by the Port by using the Electric Water Pump. The level of water pressure is to be maintained in the Fire water network. If there is a drop in pressure, then, water is pumped by the port. The proposed tariff is for supply of sea water by pumping the Electric Water Pump of the port. The port has proposed charge for use of Electric Pump for supply of sea water on hourly rate at ₹1,954/- per hour. The proposed rate is also approved by the Chairman of the NMPT.

In view of the above submissions made by the port, the proposal of NMPT for approval of tariff for Service Charges for the use of Electric Pump for supply of sea water is taken up for consideration.

(ii). (a). The proposed rate of ₹1,954/- per hour is supported with cost calculation by the port which is reproduced here for ease of reference:

(in ₹ per hour)

Sr. No.	Particulars	Amount
(i).	Salary of Departmental Operators [(₹81,392 + ₹67,440) per month / 30 days / 8 hours]	620
(ii).	Salary of Electrician [₹12,420 per month / 30 days / 8 hours]	52
(iii).	Salary of Operator [₹12,420 per month / 30 days / 8 hours]	52

(iv).	Salary of Assistant Operator [₹10,590 per month / 30 days / 8 hours]	44
(v).	Salary of Supervisor [₹13,680 per month / 30 days / 8 hours]	57
(vi).	Cost of Electricity [As per department : (45 units per hour* ₹8.65 per unit per hour)]	389
(vii).	Maintenance cost of pump house [₹31,50,783/12/30/24]	365
(viii).	**Total cost**	**1,579**
(ix).	Departmental charges at 23.75% on total cost (viii * 23.75%) [₹1,579*23.75%]	375
(x).	**Rate proposed per hour (viii+ix)**	**1,954**

(b). As per clause 7.6.1. of the Tariff Policy, 2018 issued by the Ministry of Shipping, when a tariff for service / cargo is not available in the SOR of the concerned Major Port Trust, the port shall approach the Authority for notification of tariff for the said new cargo / service / facility adopting the tariff and Performance Standards, if any, fixed for comparable cargo / equipment / service in any other Major Port Trust. If there is no tariff prescribed in any Major Port Trust or the rate prescribed is not representative for the cargo/ service/ facility envisaged, the Port Trust may file a proposal with reference to optimal capacity following the principles of Tariff Guidelines, 2008 or based on rated capacity or alternatively under cost plus 16% return formula.
Since this is a new service for which tariff is not prescribed in the existing SOR, the port has proposed the tariff broadly on cost plus model.

It is seen from the above cost calculation that the proposed rate is for recovery of cost of electricity, salary of the concerned port operators and officials, maintenance of the pump house and department overhead charges at 23.75% of the total cost.

Though the port is entitled for 16% return, the port has not considered return on capital cost of the Electric Pump on the grounds that the tariff would go very high as capital cost of electric pump is high. The port has stated that during the year 2017-18 the electric pump has run for 210 hours. In terms of percentage it is hardly 2.4% (210 hours / 8760 hours in a year). It has to be recognized that this facility is provided by the port mainly for fire safety. The proposal is mainly to enable the port to recover the cost incurred for providing the facility. The rate is proposed to be charged on per hour basis for actual usage of electric pump for supply of sea water. As stated earlier, when the required water pressure for fire network drops, the electric pump is operated to supply sea water to maintain the required water pressure. In view of the aforesaid position, this Authority goes ahead with the proposal of the port which is for recovery of cost and not earn any return on the investment from the electric pump.

None of the users including MRPL have raised any objection on the estimated operating cost. The cost calculation furnished by the NMPT is relied upon and considered. The proposed rate is already being levied by the port on provisional basis from June 2017 and being paid by the MRPL. Based on the detailed cost calculation furnished by the port and recognizing that there has been no objection on the proposed rate, this Authority approves the rate as proposed by the port.

(iii). The main user MRPL has only one objection that the proposed rate should not be levied for 24 hours. The port has categorically stated that rate will not be charged for 24 hours. Only when pressure drops and pump is started, the port will charge the rate for actual usage in terms of hours of operation of electric pump. The rate is charged only for those many hours for which electric pump is working and port has also proposed a note. The proposed note states that the charges for supply of sea water for hot work activities will be charged as per actual usage. The note is slightly modified to delete the words "for hot work activities" in line with final proposal of port dated 15 March 2019 and add the words "by electric pump" in the end to avoid ambiguity. In view of that, modification proposed by the port in description i.e. Service Charges for the use of Electric Pump for supply of sea water, is approved.

(iv). During the processing of the case, the port has stated that it has been collecting the said rate provisionally from the MRPL. The port has clarified that the said service falls under the list of services

prescribed in Section 49 of the Major Port Trusts Act 1963. However, it remains unexplained as to why the port did not approach this Authority earlier prior to levy of the rate. The action of the port for levy of the rate provisionally is without approval of this Authority.

The revenue from such provisional levy would have been around 4.10 lakhs (i.e. 210 hours of operation reported by the port in the year 2017-18 x ₹1954/- per hour). This will, however, not have any significant impact on the revenue estimated in the last general revision Order at the proposed SOR at ₹36,324.28 lakhs per annum.

(v). The port has, during the processing the case, stated that the proposal for rate for use of Electric Pump for supply of sea water is with the approval of Chairman of the port. The port has stated that it shall seek approval of the Board of Trustees on the rate for use of Electric Pump for supply of sea water and forward a copy of the Board approval to this Authority. As agreed by the port, the NMPT is advised to forward the approval of its Board of Trustees on this matter.

(vi). The rates approved by this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. The proposed rate is already collected by the port. That being so, the lead time of 30 days for implementation may not be necessary in this case. This Authority is inclined to grant approval of the rate for use of Electric Pump for supply of sea water from the date the Order is passed by this Authority. The rate prescribed for this item shall also form part of the general revision of the SOR of the port to be approved under the Tariff Policy, 2018 and the validity of the rate shall be coterminous with the validity of the revised SOR of the port to be approved by this Authority.

11.1 In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, following schedule for tariff for Service Charges for the use of Electric Pump for supply of sea water of NMPT is approved as Clause No.VII - Charges for the use of Electric Pump for supply of sea water of NMPT under Chapter No.VI – Other charges at Sl. No.6.9 - Miscellaneous Charges in the existing Scale of Rates of DPT:

"**VII. Charges for the use of Electric Pump for supply of sea water:**

Description	Amount (₹)
Charges for the use of Electric Pump for supply of sea water.	₹1,954/- per hour.

Note:
The charges prescribed above for supply of sea water will be charged as per actual usage of electric pump."

11.2. The rate approved by this Authority shall come into effect from the date the Order is passed by this Authority, subject to Board of Trustees of NMPT approves the tariff for Service Charges for the use of Electric Pump for supply of sea water of NMPT. The rate prescribed for this item shall form part of the general revision of the SOR of the port to be approved under the Tariff Policy, 2018 and the validity of the rate shall be co-terminus with the validity of the revised SOR of the port to be approved by this Authority.

11.3. The NMPT is directed to amend the existing SOR suitably.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./77/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.06.10 19:52:14 +05'30'